[ 31/7/2025]

प्रश्न सं. [ क्र. 1641 ]

परिशिष्ठ "अ"

# विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1641 द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह के प्रश्नांश "क" की जानकारी

विगत तीन वर्षो में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में जिला भिण्ड को प्रदाय आबंटन एवं लाभान्तिव हितग्राहियों की जानकारी

राशि रू. लाख में

| क्र. | योजना क्र/नाम | वित्तीय वर्ष | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | |
| | | आवंटित राशि | लाभान्वित हितग्राही | आवंटित राशि | लाभान्वित हितग्राही | आवंटित राशि | लाभान्वित हितग्राही |
| 1 | 7393 विमुक्त जाति छात्रावास | 2.57 | 42 | 3 | 30 | 5.72 | 20 |
| 2 | 7397 विमुक्त जाति बस्ती विकास | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4049 विमुक्त जातियों को रोजगार सहायता | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5509 प्राथमिक शिक्षा छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तक | 0.25 | 17 | 0.46 | 31 | 0.13 | 9 |
| 5 | 7394 कन्याओं के शिक्षण हेतु प्रोत्साहन ( कक्षा 11 वी में प्रवेश लेने पर) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1 |
| 6 | 8050 विभिन्न छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 6 से 10 तक) | 0.74 | 17 | 0.94 | 20 | 0.36 | 6 |
| 7 | 7396 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना | 0 | 0 | 0.27 | 1 | 0.95 | 4 |

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग
मंत्रालय भोपाल

लेखाधिकारी
विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु
कल्याण विकास

परिशिष्ट 'ब'

# विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग
# विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1641 द्वारा श्रीनरेन्द्र सिंह कुशवाह के प्रश्नांश 'ख' की पूरक जानकारी

1. **प्राथमिक शिक्षा छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5** - राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन करने वाले विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदायों के छात्र-छात्राओं का प्रतिमाह रूपये 15/- के मान से 10 माह के लिये रूपये 150/- की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृति का वितरण लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जाता है।

2. **विभिन्न छात्रवृत्तिया (राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10)** - कक्षा 6 से 10 तक के छात्र-छात्राओं को निम्नानुसार वार्षिक (10 माह हेतु) छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है:-

| कक्षा | छात्र | छात्रा |
|---|---|---|
| 6 से 8 | रू. 200/- | रू. 600/- |
| 9 से 10 | रू. 600/- | रू. 1200/- |

समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति का वितरण लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जाता है।

3. **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति** - योजनांतर्गत कक्षा 11 वीं से लेकर महाविद्यालयीन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा विज्ञान समूह, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, कृषि, विज्ञान, वाणिज्य इत्यादि समूहों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये नियमानुसार षिक्षण षुल्क प्रदान का प्रावधान है। विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदाय के ऐसे विद्यार्थी जिन्होने विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदाय के जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से महाविद्यालय में प्रवेश लिया हो तथा अन्य कोई भी छात्रवृत्ति योजना का लाभ न प्राप्त कर रहें हो, ऐसे विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आफ लाईन माध्यम से पिछड़ा वर्ग के नियमानुसार देय होगी।

4. **कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कक्षा 11 वीं**- विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदायों की बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिये कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना संचालित है। प्रथम बार कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर रूपये 3,000/- की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति का वितरण लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जाता है।

5. **सैनिक स्कूल में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना**- सैनिक स्कूल में प्रवेश लेने पर विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदायों के विद्यार्थियों के लिये शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की योजना संचालित है।

6. **सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना**- विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदायों के योग्यता प्राप्त शिक्षित अभ्यार्थियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों में सफलता प्राप्त करने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है ।

| क्र. | विवरण | म.प्र.लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि रूपये | संघ लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि रूपये |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर | 20,000/- | 40,000/- |
| 2 | मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर | 30,000/- | 60,000/- |
| 3 | साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर | 25,000/- | 50,000/- |

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग
मंत्रालय भोपाल